संख्या–227 / 2019 / 4454 / 26–3–2019–4(358) / 07 टी.सी. I I I

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित 15 जुलाई, 2019 तक मान्यता प्राप्त अवशेष संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन, पाठ्यक्रमों का सत्यापन, शुल्क अंकन एवं डाटा लाक करने एवं बिलम्ब से घोषित हुये परीक्षाफल तथा डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) सत्र 2017–18 के नवीनीकरण वाले छात्रों हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गो हेतु नवीन प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–2696 / स0क0 / शिक्षा–अ / 03 / 181 / 2019–20, दिनांक–15.10.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित 15 जुलाई, 2019 तक मान्यता प्राप्त अवशेष संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन, पाठ्यक्रमों का सत्यापन, शुल्क अंकन एवं डाटा लाक करने एवं विलम्ब से घोषित हुये परीक्षाफल तथा डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) सत्र 2017–18 के नवीनीकरण वाले छात्रों हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु नवीन प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये संशोधित समय सारिणी का निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

SC.O
समस्त जनपदों व NIC को भेजने हेतु पत्र प्रस्तुत करें।
22/10/19
JDU

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019–20) द्वितीय समय–सारिणी
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त परन्तु अवशेष रह गये शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना। आवेदन करने के उपरांत आनलाइन शिक्षा विभाग के माध्यम से सत्यापित किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर / अपलोड करके डिजिटल	31 अक्टूबर 2019 से 05 नवम्बर 2019 तक

Scanned by CamScanner

	हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त अवशेष संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
2	प्रदेश के बाहर की 15 जुलाई, 2019 तक मान्यता प्राप्त तथा अवशेष रह गयी नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन की कार्यवाही करना तथा योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से मास्टर डाटा को पूर्ण करने हेतु पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी ई–मेल तथा स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजना एवं प्राप्त पासवर्ड एवं डिजिटल हस्ताक्षर से मास्टर डाटा लाक करना।	31 अक्टूबर 2019 से 05 नवम्बर 2019 तक
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा अवशेष रह गये शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा गलत अंकित फीस आदि को सही करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 नवम्बर 2019 से 15 नवम्बर 2019 तक
4	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	01 नवम्बर 2019 से 15 नवम्बर 2019 तक
5	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी अवशेष संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना तथा गलत अंकित फीस आदि को सही करना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	16 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक
कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के समस्त वर्गो के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) तथा डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) 2017–18 सत्र के (अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग)) के छात्र/छात्राओं हेतु		
6	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के डी0एल0एड0	01 नवम्बर 2019 से 20 नवम्बर 2019 तक

Scanned by CamScanner

	(बी0टी0सी0) 2017–18 सत्र के छात्रों सहित।	
7	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
8	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 27 नवम्बर 2019 तक
9	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 नवम्बर 2019 से 02 दिसम्बर 2019 तक
10	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	10 दिसम्बर 2019 तक
11	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	03 दिसम्बर 2019 से 18 दिसम्बर 2019 तक
12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	19 दिसम्बर 2019 से 26 दिसम्बर 2019 तक
13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	19 दिसम्बर 2019 से 28 दिसम्बर 2019 तक
14	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 31 दिसम्बर 2019 तक
15	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	20 दिसम्बर 2019 से 03 जनवरी 2020 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	04 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक

Scanned by CamScanner

17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	11 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	22 जनवरी 2020 तक
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2020 तक
20	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020

1– उक्त समय–सारिणी की समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2– विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी अवशेष परीक्षा परिणाम प्रत्येक स्थिति में दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक अपलोड करेगें।

3– इस समय–सारिणी की समयावधि में पूर्व समय–सारिणी की समयावधि के अन्तर्गत छात्रो द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों को टेम्परेरी लाक करना, फाइनल प्रिन्ट निकालना तथा संस्था से अग्रसारण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

4– डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) सत्र 2017–18 (अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग) के नवीन छात्रों हेतु नवीनीकरण के आवेदन के लिये वर्ष 2019–20 में अतिरिक्त आप्सन से आवेदन पूर्ण किया जा सकेगा। वर्ष 2017–18 के ऐसे छात्र जिन्होने वर्ष 2019–20 में नवीन छात्र के रूप में आवेदन पूर्ण किया है, ऐसे छात्रों को नवीनीकरण के छात्र के रूप में वरीयता दी जायेगी।

5– उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार वर्ष 2019–20 सत्र के भरे गये आवेदन पत्रों का वरीयता क्रम छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3– अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

पृ0सं0–227/2019/4454 (1)/26–3–2019 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0

(सतीश कुमार)

अनु सचिव।

Scanned by CamScanner